

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती शीती बनाम रामचन्द्र (कैसा)

किस्म मुकदमा ..... वाप ..... नं० ..... 43 ..... सन् ..... 2019

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------	----------------------------------	--

4-19

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मान नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 11-6-19 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

11-6-19

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20-8-19 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20-8-19

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी अनुपस्थित, वादी एवं वादी के अधिवक्ता की कितनी मर्तना आवजे दिलायी जाने उपरान्त भी वादी एवं वादी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से वाद पत्र अदम हजरी एवं अदम पैची में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुगार होकर मन्वर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा